कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर

क्रमांकः स्था./प्रशा./2026/5860–5870 दिनांकः 27.11.2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ जरिये ई–मेल प्रेषित हैः–

1. स्टेण्डर्ड पृष्ठांकन ''बी'' के समस्त न्यायालय
2. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर
3. जिला कलक्टर, उदयपुर
4. जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की प्रति उदयपुर न्यायक्षेत्र के समस्त थानाधिकारियों को प्रेषित करावें।
5. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर
6. कोर्ट मैनेजर, जिला एवं सेशन न्यायालय, उदयपुर
7. वरिष्ठ मुंसरिम/वरिष्ठ रीडर, जिला एवं सेशन न्यायालय, उदयपुर
8. उपनिदेशक अभियोजन, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की प्रति आपके समस्त अभियोजन अधिकारीगण/सहायक अभियोजन अधिकारीगण को प्रेषित करें।
9. लोक अभियोजक/विशिष्ठ लोक अभियोजक, जिला न्यायालय, उदयपुर
10. अध्यक्ष, समस्त बार एसोसिऐशन उदयपुर न्यायक्षेत्र
11. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, उदयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
उदयपुर (राज.)

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प. 8(1) राज/वाद/2012 जयपुर, दिनांकः– 25/11/26
समस्त जिला मजिस्ट्रेट

.....

परिपत्र

विषयः आपराधिक प्रकरणों में दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील एवं दण्डादेश में वृद्धि हेतु अपील/पुनरीक्षण समयावधि में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करने के संबंध में।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरणों में राज्य सरकार की ओर से दोषमुक्ति के निर्णयों के विरुद्ध अपील तथा दण्डादेश में वृद्धि हेतु अपील/पुनरीक्षण विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के मामलों को गंभीरता से लिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर विभिन्न प्रकरणों में इस संबंध में अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए यह अपेक्षा की गई है कि राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली अपीलें/पुनरीक्षण याचिकाएं परिसीमा अधिनियम के अधीन निर्धारित समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

यह स्थिति अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि आपराधिक प्रकरणों में निर्णय पारित होने के उपरान्त अपील योग्य प्रकरणों की समयबद्ध पहचान, विधिक परीक्षण तथा सक्षम स्तर पर निर्णय लेने में किसी भी प्रकार का अनावश्यक विलम्ब न हो। विलम्ब के कारण राज्य सरकार के अपील प्रस्तुत करने के वैधानिक अधिकार प्रभावित होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः इस कार्य में तत्परता, समयबद्धता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

अतः इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी परिपत्रा क्रमांक प.1(52) विधि–4/99 दिनांक 18.09.1999, प.1(31) विधि/प्रकोष्ठ–5/2000 दिनांक 04.09.2000, प. 15(11) राज/वाद/2000 दिनांक 07.04.2001, प.8(1) राज/वाद/2012 दिनांक 22.11.2017 एवं प.8(1) राज/वाद/2012 दिनांक 10.12.2024 की ओर पुनः ध्यान आकर्षित करते हुए, पूर्व में जारी निर्देशों की निरन्तरता में निम्नलिखित निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैंः–

1. निर्णय की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदनः–

संबंधित लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, विशिष्ट लोक अभियोजक अथवा सहायक लोक अभियोजक द्वारा आपराधिक प्रकरण में निर्णय पारित होने के दिन ही निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। किसी अपरिहार्य कारणवश उसी दिन आवेदन प्रस्तुत किया जाना संभव न होने की स्थिति में उसके कारणों का अभिलेख पर उल्लेख किया जायेगा तथा बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

2. **अभियोजन अभिमत एवं पत्रावली प्रेषणः–**

निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम तीन दिवस के भीतर संबंधित लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा निर्णय का सम्यक विधिक परीक्षण कर अपील अथवा पुनरीक्षण प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता के संबंध में स्पष्ट एवं कारणयुक्त अभिमत अंकित किया जायेगा। तत्पश्चात् पत्रावली आगामी तीन दिवस के भीतर संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित की जायेगी, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही समयबद्ध रूप से की जा सके।

3. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षण एवं विधि विभाग को प्रस्ताव प्रेषणः–

संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक से पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण का समुचित परीक्षण करते हुए अपील/पुनरीक्षण प्रस्तुत किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में अपना स्पष्ट निर्णय लिया जायेगा। तत्पश्चात् पत्रावली प्राप्ति की तिथि से अधिकतम पन्द्रह दिवस के भीतर समस्त आवश्यक अभिलेखों एवं दस्तावेजों सहित विधि एवं विधिक कार्य विभाग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

पत्रावली प्रेषित करते समय यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जाये कि उसमें विधि एवं विधिक कार्य विभाग नियमावली के अध्याय–6 के नियम–67 में विहित समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न हों। इनमें मुख्यतः निम्नलिखित अभिलेख सम्मिलित होंगेः–

(1) निर्णय/आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि।
(2) अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के साक्षियों के बयानों की प्रतिलिपियां।
(3) अभियुक्त/मुल्जिम के बयान की प्रतिलिपि।
(4) एफ.एस.एल. रिपोर्ट।
(5) मेडिकल रिपोर्ट एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जहां लागू हो।
(6) प्रकरण में विचारण के दौरान प्रदर्शित (exhibits) समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियां।
(7) अन्य समस्त सुसंगत अभिलेख एवं दस्तावेज।

उक्त समस्त दस्तावेजों सहित संपूर्ण अभियोजन पत्रावली की पठनीय एवं सुव्यवस्थित छायाप्रति संलग्न किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये। अपूर्ण अभिलेखों के कारण पत्रावली का परीक्षण नही होने के कारण प्रकरण लंबे समय तक विधि विभाग मे लंबित रहता है। अतः विलंब से बचने के लिये पत्रावली प्रेषित करने से पूर्व दस्तावेजों की उपलब्धता की जांच कर ली जाये।

4. निर्देशों की कठोर अनुपालना एवं उत्तरदायित्व निर्धारणः–

उपर्युक्त निर्देशों की पालना प्रत्येक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर एवं समयबद्ध रूप से किया जाना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधि में कार्यवाही नहीं किये जाने अथवा अनावश्यक विलम्ब किये जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित की

जायेगी तथा इसे शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही के रूप में लिया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

समस्त जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके जिले में पदस्थापित समस्त लोक अभियोजकों, अपर लोक अभियोजकों, विशिष्ट लोक अभियोजकों एवं सहायक निदेशक अभियोजन को उक्त निर्देशों की स्पष्ट जानकारी देते हुए अपने स्तर से भी आवश्यक निर्देश जारी किये जायें। साथ ही, इन निर्देशों की नियमित निगरानी की व्यवस्था की जाये, जिससे प्रत्येक आपराधिक प्रकरण में निर्णय पारित होने से लेकर अपील/पुनरीक्षण प्रस्तुत किये जाने तक की समस्त कार्यवाही निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण हो सके।

यह भी सुनिश्चित किया जाये कि अपील योग्य प्रत्येक प्रकरण की समयबद्ध समीक्षा की जाये तथा परिसीमा अवधि समाप्त होने से पर्याप्त समय पूर्व विधि एवं विधिक कार्य विभाग को प्रस्ताव एवं संपूर्ण पत्रावली प्राप्त हो जाये, ताकि अपील/पुनरीक्षण प्रस्तुत करने के संबंध में आवश्यक विधिक कार्यवाही समय रहते पूर्ण की जा सके।

अतः समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों एवं जारी निर्देशों की भावना के अनुरूप उपर्युक्त निर्देशों की अक्षरशः एवं प्रभावी पालना सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में राज्य सरकार की ओर से किसी भी आपराधिक प्रकरण में अपील/पुनरीक्षण प्रस्तुत किये जाने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न न हो।

–sd/–
प्रमोद कुमार मलिक
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ आश्वयक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. शासन सचिव, गृह (अभियोजन) विभाग।
4. विशिष्ठ शासन सचिव, वादकरण।
5. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
6. लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/विशिष्ठ लोक अभियोजक
7. रक्षित पत्रावली।

प्रमोद कु. मलिक
2.11.26
शासन सचिव, विधि